



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 554) पटना, शुक्रवार, 11 सितम्बर 2020

सं0 08/आरोप-01-339/2014-7595/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 सितम्बर 2020

श्री सुरेन्द्र राय, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-996/08 के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास मद की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के स्थान पर डेहटी पैक्स में जमा कराने संबंधी इन्दिरा आवास के योजना की मार्गदर्शिका के प्रतिकूल कार्य करने, इन्दिरा आवास मद की राशि के गबन, लाभार्थी के चयन में अनियमितता बरतने इत्यादि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-353 दिनांक 29.01.2009 द्वारा निलंबित किया गया। तत्पश्चात प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9422 दिनांक 18.09.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त क्रम में श्री राय द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-16089/2010 में दिनांक 05.10.2010 को पारित न्यायादेश एवं मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आदेश सं०-11022 दिनांक 29.10.2010 के क्रम में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11054 दिनांक 02.11.2010 द्वारा श्री राय को निलंबन मुक्त किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2697 दिनांक 17.02.2012 द्वारा श्री राय को सेवा से बर्खास्तगी का दंड संसूचित करते हुए निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, का निर्णय लिया गया।

3. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री राय द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका (सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-14595/12) दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2016 को पारित आदेश के क्रम में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10941 दिनांक 25.08.2017 द्वारा श्री राय के विरुद्ध आरोपों की पुनः अग्रेतर जाँच कराने एवं श्री राय से संबंधित सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति (संकल्प ज्ञापांक-2697 दिनांक 17.02.2012) को वापस लेते हुए उन्हें सेवा में पुनः स्थापित किया गया।

4. तदुपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11018 दिनांक 29.08.2017 द्वारा श्री राय के विरुद्ध गठित आरोपों की पुनः अग्रेतर जाँच हेतु आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1080 दिनांक 29.05.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ,

जिसमें आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोंपरांत श्री राय के प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया के पद पर पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास मद की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के स्थान पर डेहटी पैक्स में जमा कराने के फलस्वरूप उक्त मद की राशि के गबन होने के संबंध में प्रतिवेदन की माँग जिला पदाधिकारी, अररिया से की गयी। जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-1168 दिनांक 11.12.2019 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि उक्त मद की राशि का गबन नहीं हुआ है एवं वर्तमान में मात्र 471 (चार सौ एकहत्तर) रुपये डेहटी पैक्स में अवशेष जमा है।

5. जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा पुनः अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोंपरांत पाया गया कि सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-14995/12 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री राय को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10941 दिनांक 25.08.2017 द्वारा पूर्व में ही सेवा में पुनःस्थापित किया जा चुका है। अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने तथा जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1473 दिनांक 28.01.2020 द्वारा श्री राय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया।

6. माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त किये जाने के आलोक में श्री राय द्वारा निलंबन अवधि (दिनांक 29.01.2009 से 01.11.2010 तक) एवं बर्खास्तगी अवधि (दिनांक 17.02.2012 से 24.08.2017 तक) का वेतन एवं भत्ता भुगतान करने का अनुरोध (अभ्यावेदन दिनांक 04.06.2020 द्वारा) किया गया। श्री राय से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में उनके निलंबन अवधि एवं बर्खास्तगी अवधि के वेतनादि भुगतान करने के संबंध में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, श्री राय से प्राप्त अभ्यावेदन एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोंपरांत उनके दिनांक 29.01.2009 से 01.11.2010 तक के निलंबन अवधि एवं दिनांक 17.02.2012 से 24.08.2017 तक के बर्खास्तगी अवधि का पूर्ण वेतन एवं भत्ता भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 554-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>